न्यायमूर्ति एच. एस. राय और ए. पी. चौधरी, के समक्ष

बलराम सिंह,-याचिकाकर्ता,

बनाम

सुखवंत कौर और एक और,-उत्तरदाता।

आपराधिक विविध 1989 का सं. 7923-एम

9 जनवरी, 1991।

दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973-** धारा **467 से 473 और** *482-भारतीय दंड संहिता,* **1860-धारा 406-आपराधिक** *भंग का अपराध-क्या इसे निरंतर अपराध* **कहा** *जा सकता है।*

अभिनिर्धारित **किया गया कि अपराध की प्रकृति और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसे अपराध के रूप में आपराधिक भंग का गठन करके प्राप्त किया जाना है, हमारा विचार है कि विचाराधीन अपराध एक निरंतर अपराध है।**

(पैरा 14)

***यह* अभिनिर्धारित किया** गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 410 के तहत 'चोरी की गई संपत्ति' की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें स्वीप संपत्ति को शामिल किया जा सकता है जिसका आपराधिक दुरुपयोग किया गया है या जिसके संबंध में आपराधिक विश्वासघात किया गया है और **यह तब तक जारी है जब तक कि यह** कानूनी तौर पर इसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में न आ जाए। दूसरे शब्दों में, एक बार जब किसी संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग हो जाता है या जिसके संबंध में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन किया जाता है, तो वह संपत्ति तब तक चोरी की संपत्ति बनी रहती है जब तक कि **उसे अपने कब्जे के हकदार व्यक्ति को बहाल नहीं कर दिया जाता है।** उपरोक्त प्रावधान आपराधिक हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध की प्रकृति को समझने की कुंजी प्रदान करता है। इसलिए, सिद्धांत रूप में, हमारा मानना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध

निरंतर अपराध है।

(पैरा 15)

माननीय न्यायाधीश श्री ***जे. एस. सेखों ने दिनांक 3 मई,*** **1990** ***को इस मामले को*** महत्वपूर्ण प्रकृति का होने और कई अन्य मामलों के सामने आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। ***न्यायमूर्ति श्री एच. एस. राय और माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. पी. चौधरी की खण्ड पीठ ने दिनांक 9 जनवरी, 1991 को लॉ प्वाइंट का फैसला किया और मामले को*** उसके ***गुण-दोष*** के आधार ***पर निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश को वापस कर दिया।*** एकल न्यायाधीश ने अंततः 21 मार्च, 1991 के फैसले के तहत मामले का निपटारा कर दिया।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाए और लागू किए गए समन आदेश और उस पर आधारित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए। मामले में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा धारा 406 आईपीसी के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है।

जी.एस. ढिल्लों. याचिकाकर्ता के लिए वकील।

मलकीत सिंह, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

एस.के. शर्मा, डी.ए.जी. पंजाब.

न्याय

न्यायाधीश ***ए. पी. चौधरी***

(1) हमारे निर्णय के लिए संक्षिप्त महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 400 के तहत दंडनीय आपराधिक विश्वासघात का अपराध एक सतत अपराध है।

(2) सी.आर.एल. सुनते समय। विविध. क्रमांक 7923-एम'ऑफ़ 1989 ***न्यायाधीश*** जे.एस. सेखों; ने इस मुद्दे पर विचारों का टकराव देखा। सीआरएल में. विविध. नहीं; 1989 का 2985-एम (रेणु और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) 12 फरवरी, 1990 को जे.एस. सेखों, जे. द्वारा तय किया गया और हाकम सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1989(2) हाल ही में सी.आर. 442, हममें से एक द्वारा निर्णय लिया गया। (न्यायाधीश ए. पी. चौधरी), यह **अभिनिर्धारित किया** गया कि धारा 406 के तहत अपराध एक **निरंतर** अपराध था। गुरवेल सिंह बनाम राजिंदर सिंह, 1990 मैरिज लॉ जर्नल 131 में, दूसरी ओर, एस. डी. बजाज, जे. ने माना कि धारा 406 एक **निरंतर** अपराध नहीं है **।**

(3) दिनांक 3 मई 1990 आदेशानुसार**, विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रश्न को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए** संदर्भित किया। **इस तरह से हमारे द्वारा मामले की सुनवाई की गई है।**

(4) कुछ अपराधों का संज्ञान लेने की सीमा से संबंधित अध्याय XXXVT (धारा 467 से, 473) पहली बार आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में जोड़ा गया था। धारा 467 में **परिभाषाएँ है। धारा 468 विभिन्न अपराधों के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित करती है, कम कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए परिसीमा की छोटी अवधि निर्धारित की गई है और अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए परिसीमा की बड़ी अवधि निर्धारित की गई है: तीन वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के लिए परिसीमा अवधि तीन वर्ष है। धारा 406 के तहत अपराध इस श्रेणी में आएगा जब तक कि इसे निरंतर अपराध नहीं**

माना जाता। धारा 469 परिसीमा अवधि के प्रारंभ से संबंधित है। धारा 470 और 471 कुछ मामलों में समय के बहिष्कार से संबंधित हैं। धारा 472 में कहा गया है कि एक निरंतर अपराध के मामले में, अपराध जारी रहने के समय के हर क्षण पर सीमा की एक नई अवधि चलना शुरू हो जाएगी और अंत में धारा 473 न्यायालय को समय सीमा की समाप्ति के बाद किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देती है यदि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर संतुष्ट है कि देरी को उचित रूप से समझाया गया है या ऐसा करना आवश्यक था।

(5) चूंकि हमारे सामने जो प्रश्न है, वह सीधे तौर पर किसी निर्णयित मामले से संबंधित नहीं है, इसलिए हमने सिद्धांत के साथ-साथ उदाहरणों की सहायता से भी प्रश्न की जांच की है।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 472 में होने वाली अभिव्यक्ति " **निरंतर** अपराध" को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। बिहार राज्य बनाम देवकरण केंशी और अन्य (1) में, जो इस विषय पर एक लोकस क्लासियस है, अपराध जारी रखने की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों में समझाया था: -

> **"निरंतर अपराध वह है जो निरंतरता के लिए अतिसंवेदनशील है और जो एक बार और हमेशा के लिए किया जाता है उससे अलग है। यह उन अपराधों में से एक है जो किसी नियम या** उसकी **आवश्यकता का पालन करने में विफलता से उत्पन्न होता है और जिसमें जुर्माना शामिल होता है, जिस**का **दायित्व तब तक जारी रहता है जब** *तक* **कि नियम या** उसकी **आवश्यकता का पालन या** अनुपालन **नहीं किया जाता है।**

> प्रत्येक **अवसर पर जब ऐसी अवज्ञा या गैर-अनुपालन होता है और बार-बार होता है, तो अपराध किया जाता है। दो प्रकार के अपराधों के बीच अंतर एक कार्य या चूक के बीच है जो एक बार और** सभी के लिए अपराध बनता है **और एक कार्य या चूक जो जारी** रहता **है और इसलिए,** हर बार या अवसर पर एक नया अपराध बनता है जब यह जारी रहता है। **निरंतर** अपराध के मामले में, इस प्रकार अपराध जारी रहने का घटक होता है जो किसी अपराध के मामले में अनुपस्थित होता है जो तब होता है जब कोई कार्य या चूक एक बार और सभी के लिए की जाती है।

(7) भागीरथ कनोरिया एवं अन्य बनाम म.प्र. (2) राज्य मामले में यह प्रश्न पुनः विचार हेतु आया। उनके आधिपत्य ने देवकरण नेन्शी के मामले (सुप्रा) में उपरोक्त परिच्छेद का उल्लेख किया और देखा कि निरंतर अपराध की अवधारणा को स्पष्ट करना स्पष्ट रूप से कठिन था और उक्त कठिनाई को देखते हुए शीर्ष न्यायालय ने 'निरंतर अपराध' और 'न जारी रहने वाला अपराध' के बीच के अंतर को सामने लाने के लिए कुछ उदाहरणात्मक मामले दिए। न्यायालय द्वारा संदर्भित उदाहरणात्मक मामले तीन इंग्लैंड से, दो बंबई से और एक बिहार से हैं।

(8) बेस्ट बनाम ब्यूटियर और पिट्ज़गिब्बन (3) में, अंग्रेजी ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1871 ने ट्रेड यूनियन के किसी अधिकारी या सदस्य के लिए जानबूझकर ट्रेड यूनियन के किसी भी पैसे, किताबें आदि को रोकना दंडनीय बना दिया। उस मामले में यह माना गया कि

पैसा रोकने का अपराध एक निरंतर अपराध था, निर्णय का आधार स्पष्ट रूप से यह था कि हर दिन जानबूझकर पैसा रोका गया था, अपराध किया गया था।

(9) वर्नी बनाम मार्क फ्लेचर एंड संस लिमिटेड (4) में, फैक्ट्री और वर्कशॉप अधिनियम, 1901 की धारा 10(1), प्रावधान करती है कि भाप, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति से सीधे जुड़ा प्रत्येक फ्लाई-व्हील सुरक्षित रूप से बाड़ लगा होना चाहिए । धारा 135 में धारा 10(1) का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान है, जबकि धारा 146 में प्रावधान है कि अपराध की जानकारी उस तारीख के बाद तीन महीने के भीतर दी जाएगी जिस दिन निरीक्षक को अपराध का पता चलता है। यह माना गया कि धारा 10(1) का उल्लंघन एक निरंतर उल्लंघन था और इसलिए, सूचना समय पर दी गई थी। हर दिन जब फ्लाईव्हील बिना बाड़ के रहता था, फैक्ट्री को 1901 के अधिनियम के अनुरूप नहीं बल्कि अन्यथा चलाया जाता था और इसलिए, धारा 10 में परिभाषित अपराध एक निरंतर अपराध था।

(10) संदर्भित तीसरा अंग्रेजी मामला द लंदन काउंटी काउंसिल बनाम वर्ली (5) है, जिसमें मेट्रोपोलिस प्रबंधन संशोधन अधिनियम, 1852 की धारा 85, एक नई सड़क के किनारे एक इमारत के निर्माण पर रोक लगाती है। कुछ परिस्थितियाँ, लंदन काउंटी काउंसिल की सहमति के बिना। न्यायालय ने धारा 85 को दो अपराधों के सृजन के रूप में माना: निषिद्ध ऊंचाई पर निर्माण करना और काउंटी काउंसिल से नोटिस प्राप्त करने के बाद पहले से ही निर्मित ऐसी संरचना को जारी रखना। न्यायालय ने माना कि बाद वाला अपराध एक निरंतर

अपराध था।

(11) सम्राट बनाम करसनदास (6) में, बॉम्बे सिटी म्यूनिसिपल एक्ट, 1988 की धारा 390.(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिसर में एक निश्चित विवरण की कोई भी फैक्ट्री स्थापित नहीं करेगा। न ही कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसे कारखाने में काम करेगा या काम करने की अनुमति देगा। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि एक नई फैक्ट्री स्थापित करना एक बार और हमेशा के लिए किया गया अपराध था, लेकिन बिना अनुमति के उसमें काम करना एक निरंतर अपराध था।

(12) **बॉम्बे *राज्य बनाम भीलवंडीवाला* (7) *में,* यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बिना लाइसेंस के परिसर को कारखाने के रूप में उपयोग करने का अपराध एक निरंतर अपराध है।**

(13) बिहार *राज्य बनाम जे.* पी. *सिंह (8) में,* पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिना पंजीकृत और उचित रजिस्टर बनाए रखे बिना एक रेस्तरां का संचालन करना निरंतर अपराध है।

(14) भगीरथ कनोरिया के मामले (ऊपर) *में यह निर्धारित* किया गया था कि यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष अपराध एक निरंतर अपराध है, आवश्यक रूप से उस क़ानून की भाषा पर निर्भर करता है जो उस अपराध को बनाता **है, अपराध की प्रकृति और सर्वोपरि उस उद्देश्य पर जो विशेष अधिनियम को अपराध के रूप में गठित करके प्राप्त किया जाना है।उक्त मामले में, सवाल यह था कि क्या नियोक्ता द्वारा**

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करते हुए भविष्य निधि में योगदान का भुगतान न करना एक निरंतर अपराध था या नहीं।यह देखा गया कि अपीलार्थी निर्विवाद रूप से नियत तिथि से पहले भविष्य निधि में अपना **योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।देर से भुगतान उन्हें उनके मूल अपराध से मुक्त नहीं कर सकता था, लेकिन यह पुनरावृत्ति को रोक देता। प्रत्येक दिन जब वे कोष में अपने योगदान का भुगतान करने के दायित्वों का पालन करने में विफल रहे, तो उन्होंने एक नया अपराध किया**

आगे उनके आधिपत्य द्वारा यह भी देखा गया कि यह श्रमिकों के कल्याण के लिए चिंता की कमी पर एक अविश्वसनीय प्रीमियम डाल रहा था कि नियोक्ता जिसने भविष्य निधि में अपने योगदान का भुगतान नहीं किया था, वह सफलतापूर्वक सीमा कानून का अनुरोध करके अपने

कार्य के दंडात्मक परिणामों से बच सकता था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध एक निरंतर अपराध था । अपराध की प्रकृति और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसे अपराध के रूप में आपराधिक विश्वासघात बनाकर हासिल किया जाना है, हमारा विचार है कि विचाराधीन अपराध एक निरंतर अपराध है।

(15) **इस** मामले को दूसरे **दृष्टिकोण** से भी देखा जा सकता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 410 'चोरी की गई संपत्ति' को परिभाषित करती है। यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें उस व्यापक संपत्ति को शामिल किया जा सकता है जिसका आपराधिक रूप से दुरुपयोग किया गया है या जिसके संबंध में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन

किया गया है और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि यह कानूनी रूप से इसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में **नहीं आ जाता है**। दूसरे शब्दों में, एक बार जब किसी संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग हो जाता है या जिसके संबंध में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन किया जाता है तो वह संपत्ति तब तक **चोरी की संपत्ति** बनी रहती है जब तक कि वह उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को वापस नहीं मिल जाती। उपरोक्त प्रावधान आपराधिक हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध की प्रकृति को समझने की कुंजी प्रदान करता है। **इसलिए, सैद्धांतिक रूप से हमारा विचार है कि भारतीय दंड संहिता की खंड 406 के तहत अपराध निरंतर अपराध**

है।

(16) उदाहरणों की बात करें तो, वरयाम सिंह बनाम पंजाब राज्य (9) में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया कि धारा 406 के तहत अपराध एक निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने पर, विद्वान न्यायाधीश ने यह नोट किया कि उपरोक्त प्रस्ताव को राज्य की ओर से पेश वकील **द्वारा** स्वीकार कर लिया था और **सर्वोच्च न्यायालय ने भी** पंजाब राज्य बनाम सरवन सिंह (10) ***मामले*** में भी ***इसी*** आधार पर ***आगे* बढ़ना शुरू *किया था।*** सरवन सिंह के मामले (सुप्रा) में, इस सवाल पर कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध जारी था या नहीं, न तो बहस हुई और न ही निर्णय लिया गया। उनका आधिपत्य इस आधार पर आगे बढ़ा कि उक्त अपराध एक **निरंतर** अपराध नहीं **था ।** हमारे विचार में, उपरोक्त निर्णय को इस प्रस्ताव के

समर्थन में एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत अपराध एक **निरंतर** अपराध नहीं है।

(17) गुरचरंज ***सिंह बनाम लखविंदर*** **कौर** ***में (11),*** **1** ***[फिर*** **से 1988 (2) हालिया सी. आर. 621 के रूप में रिपोर्ट करें] एक विद्वान। एकल न्यायाधीश यह न्यायालय, इस धारणा पर आगे बढ़ा कि** धारा **406 के तहत अपराध। भारतीय दंड संहिता निरंतर नहीं थी।वास्तव में, यह था** नहीं **विद्वान परामर्शदाता द्वारा पक्षकारों द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया कि** धारा **406 के तहत अपराध के लिए निर्धारित सीमा की अवधि तीन साल थी।**

(18) अगला निर्णय, जिसका संदर्भ दिया जा सकता है* शिवालिक आइस फैक्ट्री और ***शीतभंडारण*** और अन्य बनाम कंपनी रजिस्ट्रार (12) है। उस मामले में सवाल यह उठा कि क्या कंपनी अधिनियम की धारा 159, 182 और 220 के प्रावधानों के उल्लंघन में रिटर्न दाखिल न करना एक **निरंतर** अपराध है। **यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रकट किया गया अपराध** एक एनसीएम-ईओन्टबीएमिंगआर था क्योंकि अपराध एक बार और सभी के लिए किया गया था, जब रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहा।

(19) **गुरवेल** ***सिंह*** **के** ***मामले (सुप्रा)*** **में, एस. डी. बजाज, जे.** ***सरवन सिंह के*** **मामले (सुप्रा)** ***और वी. जरयाम*** **सिंह के मामले (सुप्रा)** के बाद **ने माना कि भारतीय दंड संहिता की** धारा **406 के तहत अपराध-निरंतर नहीं था।** दोनों निर्णयों पर भरोसा किया गया। गुरवेल सिंह के मामले को ऊपर निपटाया गया है।

(20) जे. एस. सेखों, जे. ने ***रेणु के*** **मामले (सुप्रा) में यह विचार** किया **था कि भारतीय दंड संहिता की** धारा **406 के तहत अपराध एक निरंतर अपराध था।हाकम सिंह के मामले (ऊपर) में भी** ***हममें से एक*** **(ए. पी. चौधरी, जे.) ने अकेले बैठकर यही निर्णय लिया था।**

(21) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य (13), दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 29(2) के उल्लंघन में परिसर के गैर-अनुरूप उपयोगकर्ता के लिए अभियोजन से संबंधित **हैं।** । दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा यह **अभिनिर्धारित किया** गया कि अपराध **एक निरंतर अपराध था** और इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि ***अपराध तब तक*** **जारी रहा जब तक कि गलत उपयोगकर्ता जारी रहा।**

(22) हम 'चोरी-संपत्ति' की विस्तारित परिभाषा के मद्देनजर आपराधिक अपराध में निरंतरता का एक तत्व पाते हैं । **अपराध तब तक जारी रहता है जब तक कि आपराधिक रूप से दुरुपयोग की गई संपत्ति को वास्तविक मालिक को बहाल नहीं कर दिया जाता है।** हम आगे पाते हैं **कि आपराधिक गबन का मामला बेस्ट के मामले (ऊपर) में दिए गए उदाहरणों में से** ***एक*** **के बहुत करीब** ***आता है, जिसका*** **उल्लेख देवकरण नेन्शी के मामले (ऊपर) में किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धन को रोकने का अपराध एक निरंतर अपराध था, निर्णय का आधार यह है कि हर दिन जब धन को जानबूझकर रोका जाता है, तो अपराध किया गया था।**

(23) जहाँ तक पूर्व निर्णयों का **संबंध है, इसलिए हम मानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का कोई बाध्यकारी उदाहरण नहीं है। इस न्यायालय**

या किसी अन्य उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के मुद्दे पर सीधे तौर पर कोई निर्णय नहीं है। एकल पीठ के जिन फैसलों में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है, उन्हें समझाया गया है और इसलिए हम पाते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा **406 के तहत अपराध की प्रकृति के बारे में सवाल-चाहे वह जारी** हो **या गैर-जारी अपराध-में नहीं गया है और पूर्वगामी कारणों से, हम मानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की** धारा **406 के तहत अपराध एक निरंतर अपराध है।**

हम तदनुसार संदर्भ का उत्तर देते हैं। मामला अब कानून के अनुसार **निपटारे** के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

पी.सी.जी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

I.L.R. Punjab and Haryana (1991)1

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा